न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री/टीए/6415/2005/बून्दी

1–मोडूलाल(मृतक) पुत्र बिशना जरिए कायममुकामः–
1/1 भंवरीबाई पत्नि मोडूलाल
1/2 रूकमणी पुत्री मोडूलाल
1/3 बादाम बाई पुत्री मोडूलाल
जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लोप, तहसील बून्दी जिला बून्दी।
2–छीतरलाल पुत्र किशना
जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लोप, तहसील बून्दी जिला बून्दी।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1–मूर्ति माताजी पिताम्बपुरा, तहसील बून्दी जिला बून्दी जरिए प्रन्यास अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक रमेशचन्द्र आत्मज श्रीकृष्णगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी तहसील बून्दी।
2–बजरंगलाल पुत्र किशना जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लोप तहसील बून्दी जिला बून्दी ।

रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री रवि डांगी, सदस्य
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलाण्ट्स।
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1

निर्णय

दिनांक 31–1–2023

हस्तगत द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने एक वाद अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के विरूद्ध वाद प्राप्ति कब्जा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीताम्बपुरा

तहसील व जिला बून्दी में स्थिति दधीमथी माताजी विराजमान मंदिर है एवं मंदिर मूर्ति प्रन्यास होने से सेवा पूजा व रखरखाव रमेशचन्द्र पुत्र कृष्णगोपाल द्वारा किया जाता है । खसरा नंबर 32 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नंबर 36 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा जो कि ग्राम जाखमूण्ड में स्थित है। उक्त भूमि मंदिर के रखरखाव एवं उत्सवों एवं आयोजनों से संबंधित है । उक्त खसरा नंबर की भूमि अपीलाण्ट को 6 वर्ष पूर्व आधोली पर वार्षिक काश्त हेतु दी थी जिसके अनुसार भूमि की आय में से खर्चे की राशि कम करने के बाद शेष बची आय की राशि का आधा भाग अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट/वादी को देना तय था किन्तु अपीलाण्ट द्वारा रकम नहीं देने पर कब्जा छोडने हेतु कहा गया । अपीलाण्ट द्वारा अवैध कब्जे के आधार पर अन्य व्यक्तियों को भूमि सुपुर्द कर, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 36 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा ग्राम जाखमूण्ड में स्थित भूमि पर प्रतिवादी को बेदखल कर डिक्री वादी के पक्ष में प्रदान की जावे।

उक्त दावे का जबावदावा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि जो राजस्व रिकार्ड में माताजी के नाम का अंकन कर रखा है वस्तुतः वह प्रतिवादी के पूर्वजों की है। जिस पर उनका 100 वर्षों से भी अधिक समय से बहैसियत खातेदार आसमा काश्त कर रहे है एवं प्रतिवादी खातेदार कृषक हैं। इसलिए उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अतः दावा खारिज किया जावे।

उक्त दावे के साथ एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 सपठित धारा 151 सीपीसी का सहायक कलेक्टर, बून्दी के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नंबर 32 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नंबर 36 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा जो कि ग्राम जाखमूण्ड में स्थित है। उक्त भूमि मंदिर के रखरखाव एवं उत्सवों एवं आयोजनों से संबंधित है । उक्त खसरा नंबर की भूमि अपीलाण्ट को 6 वर्ष पूर्व आधोली पर वार्षिक काश्त हेतु दी थी जिसके अनुसार भूमि की आय में से खर्चे की राशि कम करने के बाद शेष बची आय की राशि का आधा भाग अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्ट/वादी को देना तय था किन्तु अपीलाण्ट द्वारा रकम नहीं देने पर कब्जा छोडने हेतु कहा गया । अपीलण्ट द्वारा अवैध कब्जे के आधार पर अन्य व्यक्तियों को भूमि सुपुर्द कर, खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 10 बीधा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 36 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा ग्राम जाखमूण्ड में स्थित भूमि

रेस्पोडेण्ट/वादी की स्वामित्व की भूमि पर उसका प्रथम दृष्ट्या मामला , सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। यदि भूमि को रिसीवर में लिया गया तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी । अतः वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 10 बीधा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 36 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा ग्राम जाखमूण्ड में स्थिति भूमि पर निष्पक्ष व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

उक्त प्रार्थना–पत्र का जबाव अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि उनका कब्जा 70–80 साल से उनके पूर्वजों के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से है एवं काश्त कर पिलाई भी अदा कर रहे हैं एवं निरतंर काबिज है । वादग्रस्त भूमि एकमात्र उसके परिवार के पालन पोषण का साधन है। यदि इस पर रिसीवर नियुक्त किया गया तो वह बर्बाद हो जायेगा । अतः प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे ।

सहायक कलेक्टर, बून्दी ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–9–1995 से रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि पर नायब तहसीलदार उप तहसील तालेडा को रिसीवर नियुक्त कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–1–96 द्वारा अपील खारिज कर दी ।

दावे व जबावदवे के आधार पर 5 तनकियात कायम की

1– आया वाद पत्र में चरण संख्या दो में वर्णित भूमि वादी मूर्ति मंदिर के खातेदारी स्वामित्व की है जिसकी व्यवस्था पंजीकृत प्रन्यास के अध्यक्ष की देखरेख मे की जाती है।

2– आया वादी मूर्ति विवादित भूमि का प्रतिवादीगण से हर्जा एवं कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

3– आया वाद सिविल न्यायालय के श्रवण अधिकार का है ।

4– आया वाद बेहरून मियाद है।

5– अनुतोष ।

सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 11–5–2005 द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादी को बेदखल कर मौके पर कब्जा वादी को संभलाने एवं रिसीवर द्वारा काश्त की राशि का भुगतान वादी को अदा करने के आदेश पारित किए । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 10–11–2005 से खारिज कर दी । अधीनस्थ

अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10–11–2005 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 1 लगायत 12 जिसके द्वारा वह आराजी पर लम्बे समय से काबित काश्त है पर कोई विवेचना नहीं कर सभी तनकियात का निर्णय अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित कर डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अपीलाण्ट आराजी का अतिक्रमी न होकर खातेदार काश्तकार है एवं 100 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा है एवं बराबर आदोली जमा करते रहे है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालयों ने बेदखली का आदेश पारित किया है। राजस्थान लैण्ड रिफार्म के तहत मंदिर की जागीरी समाप्त हो चुकी है एवं धारा 30 जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट को बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है । अपीलाण्ट द्वारा नगद प्रतिभूति राशि 800/– रूपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष के हिसाब से बराबर जमा कराई है। इसलिए रेस्पोडेण्ट का यह कहना गलत है कि उसके द्वारा राशि जमा नहीं कराई है । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा तनकियात का सही विवेचन नहीं कर निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है । तनकी संख्या 4 का निर्णय भी अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित करने में भूल की है । अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जावें ।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है । उनका कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अपने जबाव में स्वयं यह माना है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मूर्ति माताजी स्थान पीताम्बपुरा के नाम दर्ज है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने अपने तनकी संख्या 1 का निर्णय करते समय भी विवादित भूमि मंदिर की माना है । लगान की रसीदों में भी नाम मूर्ति माताजी अंकित है । अपीलाण्ट अपना कब्जा 100 वर्षो से अधिक का साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त नहीं हो सकते । वादग्रस्त भूमि के बाबत प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

की धारा 207 के तहत राजस्व न्यायालय को है क्योंकि वादग्रस्त भूमि की किस्म कृषि है। मंदिर एक पंजीकृत प्रन्यास है जिसके अध्यक्ष रेस्पोडेण्ट नंबर 1 है एवं पूजा हेतु पुजारी नियुक्त किया है । उक्त भूमि अपीलार्थी को काश्त हेतु दी गई थी। इसलिए उसे कोई अधिकार इस आधार पर प्राप्त नहीं हो सकते हैं । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षों पर आधारित है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

7– पत्रावली पर जमाबन्दी संवत 2048–2051 एक्जीबिट–2 के अनुसार ग्राम जाखमूण्ड में स्थित खसरा नंबर 32 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा एवं खसरा नंबर 36 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर श्रीमाताजी स्थान पीताम्बपुरा खातेदार पुजारी कृष्णगोपाल वल्द गोविन्द कौम ब्राह्मण सा देह दर्ज है । हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद है कि भूमि मंदिर माताजी के नाम दर्ज है एवं रेस्पोडेण्ट/वादी को सार्वजनिक प्रन्यास मंदिर श्री दधिपंथी माताजी पीताम्बपुरा बूंदी को सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है । जबकि अपीलाण्ट को उक्त भूमि आधोली पर वास्ते काश्त संभलाई थी जिससे कि उस भूमि में होने वाली आय से मंदिर की सेवा पूजा रख रखाव हो सके । किन्तु अपीलाण्ट द्वारा गत 3 वर्षो से रकम अदा नहीं करने पर मंदिर के हितों की रक्षार्थ उसके द्वारा प्रन्यास के अधिकारी होने की वजह से अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं रिसीवर नियुक्त करने का वाद व प्रार्थना–पत्र दिनांक 9–3–94 को प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की साक्ष्य एवं सुनवाई के बाद उक्त विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने के आदेश दिनांक 22–9–95 को पारित किए । उक्त रिसीवरी कायमी के आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां किए जाने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 18–1–96 द्वारा अपील को खारिज कर दी । सहायक कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11–5–2005 द्वारा ग्राम जाखमूण्ड में स्थित विवादित भूमि खसरा नंबर 32 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा व खसरा संख्या 36 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा पर से अपीलाण्ट को बेदखल कर मौके पर कब्जा रेस्पोडेण्ट/वादी को देने व रिसीवर

जुवारा काश्त की राशि का भुगतान वादी को करने के आदेश पारित किए । उक्त आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित किया गया था, जिस पर सभी तनकियों पर पूर्ण विवेचना की गई थी । अपीलाण्ट द्वारा किसी भी साक्ष्य से अपना हक या स्वामित्व सिद्ध नहीं कर पाये हैं । केवल कब्जे के आधार पर मंदिर की भूमि पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है चाहे वह कब्जा कितना ही पुराना क्यों न हो । किन्तु इस प्रकरण में तो अपीलाण्ट द्वारा अपना कब्जा भी सिद्ध नहीं कराया है । मंदिर के हितों की रक्षार्थ विचारण न्यायालय द्वारा रिसीवर कायमी का आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। चूंकि मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। मंदिर की भूमि पर किसी भी काश्त करने वाले व्यक्ति को कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अतः ऐसा हस्तातंरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत होने से गैर कानूनी है। विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य पीडब्ल्यू–1 पर उपलब्ध बयान गवाह रमेशचन्दशर्मा, पीडब्ल्यू–2 पर बयान गवाह गोपाल, डीडब्ल्यू–1 पर पर बयान गवाह मोडूलाल, डीडब्ल्यू–2 पर बयान गवाह हीरालाल, डीडब्ल्यू–3 पर बयान गवाह औंकार के बयानों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी साक्ष्य एवं बयान के आधार पर यही माना है कि मंदिर मूर्ति की पूजा प्रतिष्ठा एवं व्यवस्था आदि समस्त काम मंदिर का पुजारी/व्यवस्थापक करता है एवं मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसके अधिकारों की रक्षा मंदिर का पुजारी, व्यवस्थापक, प्रन्यास, न्यायालय आदि कोई भी कर सकता है । रेस्पोडेण्ट/वादी को चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रन्यास का सदस्य सक्षम न्यायालय से अधिकृत किया है। इसी कारण उसके द्वारा यह वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर से प्राप्त आय को मंदिर में गत तीन वर्षो से नहीं दिए जाने के उपरान्त मंदिर के कार्य सेवा पूजा में व्यवधान होने से रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया है जिसे विचारण न्यायालय ने प्रकरण में वाद पत्र एवं जबावदावे के आधार पर तनकियां बनाकर उपलब्ध साक्ष्यों एवं दस्तावेंजो के आधार पर भलीभाँति विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश प्रतीत नहीं होती है । इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा तनकीवार विस्तृत विवेचन व विश्लेषण के आधार पर विचारण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं एवं इन निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या

अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । **जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि**

''जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता''।

इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–

Second appeal -Concurrent findings of law and facts-In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to extent that no judicial person could ever record such findings.

अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक एवं विवेचन के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। प्रार्थना–पत्र, कोई लम्बित हो तो, तदानुसार निस्तारित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) (रवि डांगी)

सदस्य सदस्य